कि जमा बंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथी का नाम रामकिशोर पुत्र बनवारीलाल के स्थान पर किशोर पुत्र बनवारी भूलवश दर्ज किया जाना प्रतीत होता है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थीया का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर गलत नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) मौजा खारी जोधा के खाता संख्या 15 के खसरा नम्बर 274 रकबा 1.5216 हैक्टेयर, में दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: : आदेश: : –

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। **मौजा खारी जोधा के खाता संख्या 15 के खसरा नम्बर 274 रकबा 1.5216 हैक्टेयर, में दर्ज खातेदार काश्तकार का नाम किशोर पुत्र बनवारी के स्थान पर रामकिशोर पुत्र बनवारी लाल दुरूस्त** किया जाता है। **उपरोक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत् रहेगा।** तहसीलदार डेह को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

यह आदेश आज दिनांक 23/09/14 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner